रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112022-239962 CG-DL-E-01112022-239962

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 711] No. 711] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 2022/कार्तिक 10, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 2022/KARTIKA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2022

सं. 56/2022-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 798(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जो संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र. सं. 404 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टियों के स्थान पर "27, 29, 31, 38, 39, 73, 82, 84, 85, 87, 89 or 90" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. 190354/45/2021-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना मंख्या 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ) तारीख 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना सं.52/2022-सीमाशुल्क, तारीख 3 अक्तूबर, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी, जो संख्यांक सा.का.नि. 759(अ) तारीख 3 अक्तूबर, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

7253 GI/2022 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2022

No. 56/2022-Customs

G.S.R. 798(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 404, in column (2), for the entries "27, 29, 31, 38, 39, 73, 82, 84, 85, 87, 89 or 90" shall be substituted;

[F. No. 190354/45/2021-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 52/2022-Customs, dated the 3rd October, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 759(E), dated the 3rd October, 2022.